अपील सूचना अधिकार संख्या 56/2018 (RCMS : 2018/00146) कौशल छाबड़ा पुत्र अशोक छाबड़ा जाति अरोडा, निवासी वार्ड नं 7, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर बनाम अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका अनूपगढ

29.08.2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी कौशल छाबड़ा स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी दिनांक 18.06.2018 को अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, अनूपगढ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाऐं चाही थी, जो उन्हें अधिशाषी अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है, इसलिए उनके द्वारा यह अपील पेश की गई है और प्रार्थना की है उन्हें जल्द से जल्द सूचना उपलब्ध करवाई जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी कौशल छाबडा ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 18.06.2018 के द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, अनूपगढ से निम्न सूचना चाही थीः–

1. नगरपालिका में खाद्य पदार्थों को लाभ पाने के लिए क्या औपचारिकताएं पूर्ण करनी होती है व क्या दस्तावेज संलग्न करने होते है व कितनी अवधि में खाद्य पदार्थ की प्रक्रिया का निस्तारण किया जाना नियमानुसार है, उसका पूर्ण विवरण परिपत्र सहित उपलब्ध करावे।

शा.
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

2. नगरपालिका अनूपगढ में वर्ष 2015-16 से वर्तमान तक खाद्य पदार्थों के लाभ के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए व कितने आवेदन का निस्तारण कर दिया गया है, उन समस्त अप्रुव्ड आवेदन पर क्या औपचारिकतायें पूर्ण की गई है व आवदेन का निस्तारण कितनी अवधि में किया गया है जिसका पूर्ण विवरण आवेदन के नाम, पिता का नाम पता मय मोबाईल नम्बर सहित उपलब्ध करवाया जावे व कितने आवेदन का निस्तारण किया जाना बाकी है, उनका पूर्ण विवरण नाम, पिता का नाम, जाति, पता, मोबाईल नम्बर आदि उपलबध करवाया जावे।
3. नगरपालिका अनूपगढ द्वारा वर्ष 2015-16 से वर्तमान तक खाद्य पदार्थों के लाभार्थी की जाचं अधिकारी द्वारा की गई है या नहीं? अगर जांच की गई है तो क्या लाभार्थी की कृषि भूमि न होने की जांच व वार्षिक आय 80,000/- रूपये से अधिक नहीं होने की जांच व भूखण्ड 1500 फुट से अधिक नहीं होने की जाचं किस प्रकार की गई है जिसका पूर्ण ब्यौरा उपलबध करवाया जावे। मौका निरीक्षण किया गया है या नहीं? जिसकी सूचना उपलब्ध करवाया जावे।
4. खाद्य पदार्थ के लाभ शामिल होने के किन-किन दस्तावेजों के अधार पर खाद्य पदार्थ की सूची जोड़ा जाता है, विवरण उपलब्ध करवाया जावे।
5. नगरपालिका, अनूपगढ के वार्ड नं. 7 व 11 से 18 में जो व्यक्ति बी.पी.एल. सूची में शामिल है, उसकी सूची पिता का नाम मय पता सहित विवरण उपलब्ध करवाया जावे।

सा/-
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, अनूपगढ द्वारा सूचना का अधिकार 2005 के तहत प्रार्थी द्वारा सूचना बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कोई उत्तर प्रार्थी को निर्धारित समय में नहीं दिये जाने पर, अपीलार्थी ने यह अपील निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता के समक्ष पेश की है। **सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 के तहत नगरपालिका की प्रथम अपील सम्बन्धित नगरपालिका के अध्यक्ष के समक्ष पेश हो सकती है। इसलिए प्रार्थी की अपील सुनवाई योग्य न होने के कारण यहां से यह अपील खारिज की जाती है और अपलार्थी, अध्यक्ष, नगरपालिका के समक्ष नियमानुसार अपील करने हेतु स्वतंत्र है।** अपीलाथी को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर